ACM आमेर प्र. सं. ६

फर्द अहकाम

मालीराम बनाम स्टेट आदि

82/20 TR

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशे
3/6/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं है। अ.तं. पेशी पर बहस नहीं करने पर सविक आदेशानुसार प्रा०पत्र गुणावगुण के आधार पर निर्णित कर दिया जायेगा। पत्रावली दिनांक 5/6/25 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	
5/6/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी अनुपस्थित है अप्रार्थी-3 की बहस का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत तर्कों, दस्तावेजात के आधार पर प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल [illegible] हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 18:20:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः श्रीमती सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 82/2020

1–मालीराम पुत्र श्री ओमला उर्फ ओमाराम जाट आयु–66 वर्ष,

2–बाबूलाल पुत्र श्री ओमला उर्फ ओमाराम जाट आयु–46 वर्ष,

3–हरीनारायण पुत्र श्री ओमला उर्फ ओमाराम जाट आयु–58 वर्ष,

समस्त निवासीयान–ग्राम–सुदर्शनपुरा, ग्राम पंचायत–खन्नीपुरा, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर (राजस्थान)–303701

– प्रार्थीयान–वादीगण

–: बनाम :–

1–स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये कलेक्टर, कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर जयपुर (राजस्थान)–302016

2–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–आमेर, कार्यालय–तहसील परिसर, आमेर जिला–जयपुर (राजस्थान)–302028

3–सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जरिये अधिशाषी अभियन्ता, पताः–पीडब्ल्यूडी कार्यालय, शाहपुरा, जिला–जयपुर (राजस्थान)– 303103

4–ग्राम पंचायत खन्नीपुरा, जरीये सरपंच, पताः ग्राम खन्नीपुरा, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर (राजस्थान)–303701

– विपक्षी–प्रतिवादीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक 05.06.2025

हस्तगत प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण खातेदारी की कब्जेशुदा भूमि राजस्व ग्राम–सुदर्शनपुरा, पटवार हल्का खन्नीपुरा, भू०अ०नि०क्षे० राधाकिशनपुरा, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर (राजस्थान) मे अन्य आराजियात के अतिरिक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर–165 रकबा 0.4500 हैक्टेयर, किस्म चाही 2 तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर–181 रकबा 1.7600 हैक्टेयर, किस्म बारानी 1 स्थित है जिनमे वादीगण का कब्जा व कास्त है तथा उक्त भूमि के दक्षिण मे काफी समय पूर्व से ही वादीगण के कच्चे, पक्के निर्माण / सुधार इत्यादि व तारबन्दी कायम की हुई है। वादीगण की उक्त भूमि खसरा नम्बर–165 रकबा 0.4500 है0 तथा खसरा नम्बर 181 रकबा 1.7600 हैक्टेयर की दक्षिणी दिशा मे सार्वजनिक रास्ता खसरा नम्बर–164 तथा सरकारी भूमि खसरा नम्बर–181/467 स्थित है जहाँ से होकर वर्तमान मे सार्वजनिक रास्ता जारी है तथा पक्की सडक बनी हुई है। वादीगण की उक्त कृषि भूमि के दक्षिण दिशा की ओर स्थित उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:20:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सार्वजनिक रास्ते की चौडाई के सम्बन्ध मे दीगर व्यक्तियों द्वारा विवाद उत्पन्न करने पर श्रीमान उप—तहसीलदार महोदय जालसू तहसील—आमेर जिला—जयपुर (राजस्थान) के आदेश की अनुपालना में श्रीमान पटवारी महोदय ग्राम पंचायत—खन्नीपुरा तहसील—आमेर जिला—जयपुर द्वारा दिनांक—23.10.2020 को मौके पर स्वयं सरपंच महोदय व अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति मे उक्त रास्ते की दोनो तरफ की सीमाओं का सीमाज्ञान किया जाकर सीमाओं को चिन्हित किया गया था जिसमे वादीगण द्वारा उक्त रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण किया हुआ नही पाया गया बल्कि वादीगण की उक्त भूमि खसरा नम्बर—181 के दक्षिण—पश्चिम कोर्नर के पास उक्त रास्ते के दक्षिणी ओर लगती हुई अन्य भूमि के खातेदारान द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करते हुए अवैध निर्माण किया जाना पाया गया तथा दीगर व्यक्तियों द्वारा किये गये अतिक्रमण के कारण मौके पर उक्त रास्ते की चौडाई कम हो जाना भी पाया गया। वादीगण द्वारा अपने उक्त खसरा नम्बरान की सीमाओ पर तारबन्दी की हुई है तथा पशुओं को बांधने व चारा इत्यादि रखने के लिए सुधार भी किये हुए है तथा वादीगण अपनी आवश्यकतानुसार और भी सुधार कार्य करने को है तथा उक्त भूमि मे वादीगण की फसल उग रही है, लेकिन प्रतिवादी संख्या—3 के अफसरान व प्रतिवादी संख्या—4 ग्राम पंचायत खन्नीपुरा, दीगर व्यक्तियों को जिन्होने रास्ते की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है उसे हटाने के बजाय उक्त दीगर व्यक्तियों से मिलिभगत कर तथा दीगर व्यक्तियों के प्रभाव मे आकर उनको अनुचित लाभ पंहुचाने के उद्देश्य से वादीगण की उक्त भूमि खसरा नम्बर—165 रकबा 0.4500 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर—181 रकबा—1.7600 हैक्टेयर की दक्षिणी सीमा पर पूर्व से लगी हुई तारबन्दी व बने हुए निर्माण / सुधार को अनाधिकृत रूप से तोडने को उतारू हो गये है तथा अनाधिकृत रूप से तोड—फोड करने की धमकी दे रहे है तथा वादीगण की उक्त खातेदारी की भूमि मे वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग व उपभोग मे मजाहमत पैदा कर रहे है तथा वादीगण को उनके हक व अधिकार की सम्पत्ति से बाई टेरर व फोर्स बेदखल करने व सम्पत्ति से वंचित करने को आमादा है तथा वादीगण की फसल को नुकसान पहुँचाने को आमादा है जिसका किसी को कोई अधिकार नही है। उक्त अनाधिकृत कार्यवाही में प्रतिवादीगण संख्या—1 व 2 के अफसरान भी सम्मिलित रहे है। वादीगण को अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का उपयोग व उपभोग करने, फसल की सुरक्षा करने, सुधार/निर्माण कार्य कराने व नियमानुसार काम में लेने का पूर्ण हक व अधिकार हासिल है जिसमे अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप व मजाहमत पैदा करने का किसी को कोई अधिकार हासिल नही है। अतः प्रतिवादियो मे मिन वादीगण मुश्तहक है कि प्रतिवादीगण संख्या—1 लगायत 4 को जरिये निषेधाज्ञा दवामी (परपेटुअल इंजंक्शन) पाबन्द करावे की प्रतिवादीगण संख्या—1 लगायत 4 वादीगण के हक व अधिकार की कब्जेशुदा उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर—165 रकबा 0.4500 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर—181 रकबा 1.7600 हैक्टेयर मे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नही करे, वादीगण की उक्त भूमि में लगी हुई तारबन्दी, बने हुए सुधार कार्य व निर्माण इत्यादि मे कोई तोड—फोड नही करे तथा उक्त भूमि मे वादीगण के कब्जे, काश्त व उपयोग, उपभोग व सुधार कार्य में किसी प्रकार की मजाहमत,

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:20:43 IST
Reason: SelfAttested

रूकावट या व्यवधान उत्पन्न नही करें तथा ना ही अपने किसी ऐजेन्ट, सर्वेन्ट कर्मचारी या किसी अन्य से करावे। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को जरिये निषेधाज्ञा दवामी (परपेटुअल इंजंक्शन) पाबन्द फरमाया जाना जरूरी है अन्यथा वादीगण अपने हक व अधिकार की सम्पत्ति से वंचित हो जायेगें तथा वादीगण को अकथनिय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार सम्भव नही होगी। वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को उक्त नाकिस कार्यवाहियों नही करने हेतु मौखिक रूप से निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 नही माने तथा प्रतिवादीगण संख्या–3 व 4 ने दिनांक–23.12.2020 को वादीगण की उक्त भूमि मे अनाधिकृत अतिकृमण करने व वादीगण के तारबन्दी, सुधार/निर्माण को तोडने की धमकी दी तथा वादीगणको उनके हक व अधिकार की सम्पत्ति से बाई टेरर व फोर्स बेदखल करने व सम्पति से वंचित करने की धमकी दी जिससे वाद कारण दिनांक–23.10.2020 व दिनांक–23.12.2020 को व उसके पश्चात निरन्तर पैदा होकर दावा दायर करना लाजिम आया है। प्रार्थीयान–वादीगण रिकॉर्डेड खातेदार है तथा सम्पत्ति वादग्रस्त पर प्रार्थीयान–वादीगण का कब्जा है तथा काश्त है जिसमे विपक्षी–प्रतिवादीगण संख्या–1 लगायत 4 मौके पर उक्त नाकिस कार्यवाहियों कर रहे है जिन्हे दौरान दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जाना जरूरी है। विपक्षीगण–प्रतिवादीगण संख्या–1 लगायत 4 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द नही फरमाये जाने की सूरत मे मिन प्रार्थीयान–वादीगण अपने अधिकार व कब्जे काश्त की सम्पत्ति व अन्य सम्पत्ति से महरूम हो जावेगें तथा मिन प्रार्थीयान–वादीगण को अकथनिय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार सम्भव नही होगी तथा निषेधाज्ञा जारी फरमाये जाने की सूरत मे विपक्षीगण–प्रतिवादीगण संख्या–1 लगायत 4 को किसी प्रकार की कोई क्षति कारित नही होगी।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के उपरान्त अप्रार्थीगण की विधिवत जरिये रजिस्टर्ड एडी तलवी की गई।

अप्रार्थी संख्या 3 पीडब्ल्यूडी की ओर से जवाब पार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि प्रार्थना पत्र का मद संख्या 1 मे वाद पत्र पेश करना पत्रावली का रिकॉर्ड का विषय है शेष कथन गलत है अस्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र का मद संख्या 2 मे प्रार्थीगण का यह वर्णित करना कि "प्रार्थीगण की कब्जेशुदा भूमि खसरा नंबर 165 रकबा 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 181 रकबा 1.7600 हैक्टेयर वाके ग्राम [illegible]पुरा, पटवार हल्का खन्नीपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर मे स्थित है" का कथन रिकॉर्ड का विषय है जो प्रार्थीगण स्वयं सक्षम साक्ष्य से साबित करे। यहां यह वर्णित करना आवश्यक है कि उक्त भूमि नवसृजित तहसील ग्राम जालसू के अंतर्गत आती है शेष कथन कि उक्त भूमि के दक्षिणी हिस्से में काफी समय पूर्व से ही प्रार्थीगण के कच्चे, पक्के निर्माण/सुधार इत्यादि स्थित है तथा तारबंदी कायम की हुई है का कथन प्रार्थीगण सक्षम साक्ष्य से साबित करे यहां यह वर्णित करना आवश्यक है कि भूमि खसरा नंबर 164, 181/467, वाके ग्राम सुदर्शनपुरा, पटवार, हल्का खन्नीपुरा, भू. अ. नि. क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर में स्थित है उक्त दोनों खसरा नंबरो मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:20:43 IST
Reason: Self-Attested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

से रोड पहले से ही बनी हुई है, सार्वजनिक रास्ता पक्की सडक मौजूद है जो खसरा नंबर 176 मे जाकर मिलती है जो राज्य सरकार की भूमि है जो लोकहित के सार्वजनिक रास्ते के काम में उपयोग में ली जा रही है जो रास्ता खसरा नंबर 176 की रास्ते की भूमि में मिलता हुआ है, वादी सं. 1 मालीराम द्वारा खसरा नंबर 181/467 के उत्तरी कोने पर अतिक्रमण कर दुकान निर्माण कर रास्ते को संकुचित कर दिया गया है जिस अतिक्रमण को संरक्षण करने हेतु हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र का मद सं. 3 मे प्रार्थीगण का यह वर्णित करना कि "भूमि खसरा नंबरे, 165, 181 की दक्षिणी दिशा में सार्वजनिक रास्ता खसरा नंबर 164 तथा सरकारी भूमि खसरा नंबर 181/467 स्थित है, राजस्व रिकॉर्ड का विषय है, यहां यह वर्णित करना आवश्यक है कि उक्त खसरा नंबर पर पूर्व से स्थित मौके पर चालू रास्ते के अनुसार सार्वजनिक रास्ता चालू है तथा पक्की सडक पूर्व से ही बनी हुई है, खसरा नंबर 181/467 व खसरा नंबर 164 के उत्तरी ओर खसरा नंबर 176 रास्ता है जिसके चौराहे पर प्रार्थी सं. 1 मालीराम द्वारा अतिक्रमण कर पुख्ता दुकान निर्मित कर अतिक्रमण कर रखा है, मौके पर स्थित चालू रास्ते के संबंध म प्रार्थीगण द्वारा पूर्व मे कोई आपत्ति व एतराज नही किया गया। प्रार्थना पत्र का मद सं. 4 मे वर्णित कथन कि "प्रार्थीगण की उक्त भूमि कृषि भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित उक्त सार्वजनिक रास्ते की चोडाई के संबंध में दीगर व्यक्तियो द्वारा विवाद उत्पन्न करने पर श्रीमान उपतहसीलदार जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर के आदेश की अनुपालना में पटवारी ग्राम पंचायत खन्नीपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर द्वारा दिनांक 23/10/2020 को मौके पर स्वयं सरपंच महोदय व अन्य व्यक्तियो की उपस्थिति में उक्त रास्ते के दोनों तरफ की सीमाओ का सीमाज्ञान किया जाकर सीमाओ को चिन्हित किया गया था जिसमे प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते की भूमि में किसी भी प्रकार का अतिक्रमणः किया हुआ नही पाया गया" का कथन मन अप्रार्थी की जानकारी में नहीं होने से प्रार्थीगण स्वयं सक्षम साक्ष्य से साबित करे, प्रार्थीगण का इस मद में यह वर्णित करना कि "भूमि खसरा नंबर 181 के दक्षिणी पश्चिमी कॉर्नर के पास उक्त रास्ते के दक्षिणी ओर लगती हुई अन्य भूमि के खातेदार द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण मौके पर रास्ते की चौडाई कम हो गई" का कथन भी प्रार्थीगण सक्षम साक्ष्य से साबित करे। यहां उल्लेखित करना आवश्यक है कि उक्त सीमाज्ञान कार्यवाही मन अप्रार्थी की उपस्थिति में एवं जानकारी मे नहीं की गई है, न ही उक्त कार्यवाही मन अप्रार्थी पाबंध है। प्रार्थना पत्र का मद सं. 5 मे प्रार्थीगण का यह वर्णित करना कि "प्रार्थीगण द्वारा अपने उक्त खसरा नंबरों की सीमाओ पर तारबंदी की हुई है तथा पशुओ को बांधने व चारा इत्यादि रखने के लिए छप्पर इत्यादि भी किये हुये है तथा प्रार्थीगण अपनी आवश्यकता अनुसार और भी सुधार कार्य करने की है तथा उक्त भूमि में प्रार्थीगण की फसल उग रही है' का कथन प्रार्थीगण स्वयं सक्षम साक्ष्य से साबित करे। शेष कथन जिस पकार से वर्णित किया गया है गलत है अस्वीकार है। मन अप्रार्थी सं. 3 व उसके कर्मचारी व अधिकारीगण विधि अनुसार कार्य करते हैं। खसरा नंबर 164 व खसरा नंबर 181/467 सरकारी भूमि है तथा लोकहित के सार्वजनिक मार्ग के काम में ली जा रही है, मौके पर पूर्व से ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:20:43 IST
Reason: SelfAttested

सडक पक्की बनी हुई है, मौके पर बनी हुई पक्की सडक एवं उसके दोनों और रोड बाउण्ड्री में प्रार्थीगण द्वारा अवैध अतिक्रमण कर रास्ते को संकुचित किया जा रहा है तथा पाथो सं. 1 द्वारा रास्ते की भूमि में पक्का निर्माण कर रास्ते को संकुचित करने एवं उक्त अतिक्रमण तथा रास्ते मे किये गये अतिक्रमण को संरक्षित क़रने के आशय से 'हस्तगत पांथना पत्र प्रस्तुत किया गया है, प्रार्थीगण का मौके पर पूर्व से बनी हुई सडक एवं आम रास्ते पर कोई कब्जा एवं उपयोग उपभोग नहीं है. अपितु उक्त मौके पर अवस्थित अनुसार चालू सार्वजनिक रास्ता आम जनता के लोकहितार्थ उपयोग में लिया जा रहा है जिस पूर्व से चालू सार्वजनिक, लोकहितार्थ उपयोग में आ रहे रास्ते पर किसी भी प्रकार का. अतिक्रमण किये जाने पर मन अप्रार्थी को उक्त अतिक्रमण को हटाये जाने का वैधानिक अधिकार प्राप्त होने से एवं प्रार्थीगण द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण को प्रार्थीगण हस्तगत पाथना पत्र के माध्यम से नियमित कराने के हक अधिकारी नही है, मन अप्रार्थी विधि अनुसार कार्य करते है, पाथना पत्र दायरी के पूर्व से ही रोड बनी हुई है तथा रोड के दोनों और रोड बाउण्ड्री छूटी हुई है। प्रार्थना पत्र का' मद सं. 6 जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत है अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने अपने आपको खसरा नंबर 165 व 181 का अभिलिखित खातेदार काश्तकार होना वर्णित किया है तथा उक्त दोनों खसरा नंबरो के मध्य से खसरा नंबर 176 राज्य सरकार की भूमि है, खसरा नंबर 176 मौके पर गै.मु. सार्वजनिक रास्ते के काम मे उपयोग में ली जा रही ह, उक्त खसरा नंबर 176 के राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज भूमि को प्रार्थीगण ने अपनी भूमि खसरा नंबर 165 की ओर मिलाकर अतिक्रमण किये जाने से गैरमुमकिन राहता। खसरा नंबर 176 मे मौके पर रास्ता जवाब पाथना पत्र संलग्न अनुसार नीली लाईनो से वर्णित स्थान पर रोड बनी हुई है तथा उसके दोनों तरफ लाल लाईन से दर्शित रोड बाउण्ड्री है इस प्रकार प्रार्थीगण ने राज्य सरकार की भूमि को अपनी ओर मिलाकर अतिक्रमण करने पर मौके पर पकरण दायरी से पूर्व से ही उक्त जवाब पाथना पत्र के संलग्न अनुसार मौके पर रार्ता चालू है तथा निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है, ऐसा किये जाने पर मौके पर लोकहित में काम आ रहे सार्वजनिक रास्ते को प्रार्थीगण अतिक्रमण कर, बंद कर संकुचित कर देंगे, जिससे लोकहित के साथ गंभीर अन्याय होगा जिसकी पूर्ति भविष्य में किया जाना असंभव होगा। प्रार्थना पत्र का मद सं. 8 जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत है अस्वीकार है। मन अप्रार्थी द्वारा हस्तगत मद मे वर्णितानुसार किसी प्रकार की कोई धमकी प्रार्थीगण को नहीं दी। मन अप्रार्थी विधि अनुसार कार्य करते है, प्रार्थीगण द्वारा सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर अति[illegible] र रास्ते को दूसरी ओर धकेलकर मौके पर पूर्व में मौखिक सहमति से [illegible] अनुसार रोड बनवा दी तथा अब अपनी खातेदारी की भूमि होना व[illegible] मौके पर चालू सार्वजनिक रास्ते को संकुचित कर बंद करने पर आमादा होने से हस्तगत पाथना पत्र बिना वाद कारण उत्पन्न हुये प्रस्तुत किया गया है जो काबिले खारिज है। प्रार्थना पत्र की' मद सं. 9 जिस प्रकार वर्णित किया गया है। गलत है अस्वीकार है। पाथोगण द्वारा लाकहिताथ माक पर चाल उपयाग म आ रह सावजनिक रास्त पर अतिक्रमण कर रास्त का सकचित एव बंद करने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 16:20:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर न. जयपुर

आशय से हस्तगत पाथना पत्र प्रस्तत किया गया है। विना कब्जे के मौके पर रास्ते के काम में आ रही भूमि के बाबत मन अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष वास्तविक तथ्यो को छुपाकर प्राप्त करना चाहते हैं, मौके पर रास्ता जवाब पाथना पत्र के संलग्न नक्शे अनुसार नीली लाईनो से वर्णित स्थान पर चालू है. तथा रास्ते की भूमि पर प्रार्थीगण द्वारा अतिक्रमण कर रखा है जो लोकहित के विरूद्ध होने से एवं मन अप्रार्थी विधि अनुसार कार्य करने से मन अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थीगण किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है, ऐसा किये जाने पर मौके पर लोकहित में काम आ रहे सार्वजनिक रास्ते को प्रार्थीगण अतिक्रमण कर, बंद कर संकुचित कर देंगे, जिससे लोकहित के साथ गंभीर अन्याय होगा जिसकी पूर्ति भविष्य में किया जाना असंभव होगा। अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 ने जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर दिनांक 15.04.2025 को बंद किया गया।

विद्वान उभयपक्ष बहस सुनी गई जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए हैं। हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी का मुख्य कथन रहा है कि खसरा नंबर 181/467 व खसरा नंबर 164 के उत्तरी ओर खसरा नंबर 176 रास्ता है प्रार्थना पत्र का मद सं. 4 मे वर्णित कथन कि "प्रार्थीगण की उक्त भूमि कृषि भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित उक्त सार्वजनिक रास्ते की चोडाई के संबंध में दीगर व्यक्तियो द्वारा विवाद उत्पन्न करने पर उपतहसीलदार जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर के आदेश की अनुपालना में पटवारी ग्राम पंचायत खन्नीपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर द्वारा दिनांक 23/10/2020 को मौके पर स्वयं सरपंच महोदय व अन्य व्यक्तियो की उपस्थिति में उक्त रास्ते के दोनों तरफ की सीमाओ का सीमाज्ञान किया जाकर सीमाओ को चिन्हित किया गया था। परन्तु यहा यह उल्लेखनिय है कि प्रार्थी ने इससे संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये की सीमाओ का चिनहित किया गया था ऐसे में यह नहीं कहां जा सकता कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि को खुर्द–फुर्द किया जा रहा हो फलस्वरूप प्रार्थी ने प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति, एवं सुविधा का संतुलन साबित नहीं किया है, जैसा कि न्यायिक दृ[illegible] 2016(1) PAGE 113 में प्रतिपादित किया है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला साबित [illegible] की सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तथ्य प्रार्थी के पक्ष में साबित [illegible] फलस्वरूप प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज [illegible]या जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:20:43 IST
Reason: SelfAttested